7-5-1[illegible] पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम मेजा मे पेश हुई- वकील वादी एव प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 भैरू का गोद पुत्र है तथा प्रतिवादी सं. 2 भैरू के कोई संतान नहीं होने से प्रतिवादी सं. 02 भैरू ने वादी को अपने सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद लिया तभी से वादी प्रतिवादी सं. 2 का गोद पुत्र है बीच मे प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी संख्या 1 के बहकावे मे आकर वादी को गोद पुत्र मानने से मना करने लगा तो वादी ने प्रतिवादी सं० 2 के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय भीलवाड़ा मे गोद पुत्र घोषित किये जाने का एक दावा प्रस्तुत किया जो बाद रजिस्टर होकर अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या 2 भीलवाड़ा मे प्रकरण संख्या 158/14 पर दर्ज हुआ। उक्त वादपत्र वादी के पक्ष मे राजीनामे

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जि.[illegible] भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	से दिनांक 22.7.2015 को निर्णित हुआ जिसमे वादी को प्रतिवादी संख्या 02 का गोदपुत्र घोषित किया गया। वादी का गोद पिता प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के बहकावे मे आ गया। प्रतिवादी सं. 1 ने अवैध लाभ उठाकर अपने आपको प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी होना बताकर प्रतिवादी संख्या 02 के नाम पर राजस्व ग्राम मेजा मे स्थित आराजी नं 1437 रकबा 01 बिस्वा गैर मु. हुआ व आराजी नं. 1437 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नं 1431 रकबा 17 बिस्वा आराजी नं. 1432 रकबा 13 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 02 का सम्पूर्ण हिस्सा का विक्रयपत्र लिखवाकर अपने पक्ष मे विक्रयपत्र लिखवाकर उसका पंजीयन प्रतिवादी संख्या 03 के कार्यालय मे करा लिया। जो विक्रयपत्र निष्पादित किया गया, उक्त विक्रयपत्र मे विक्रेता का नाम भैरू गुजर निवासी मेजा लिखा हुआ है जब जो भूमि विक्रय की गई उसमे खातेदार का नाम भैरू पिता देवा गुजर निवासी कालुखेडा अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार खरीददार क्रेता ने अपने आपको भैरू गुजर निवासी मेजा की पत्नी बताकर विक्रयपत्र अपने पक्ष मे निष्पादित करवाया जबकि भैरू गुजर निवासी मेजा इस नाम का कोई व्यक्ति मेजा मे निवास नही करता है और न ही उसके बरदी नाम की कोई पत्नी है और विक्रेता का राशन कार्ड एंव फोटो पहचानपत्र मे भी कालुखेडा का लिखा हुआ है तथा क्रेता बरदी का भी मेजा का का राशन कार्ड व फोटो पहचानपत्र नही होते हुए भी पंजीयन अधिकारी ने उक्त विक्रयपत्र का अवैध लाभ प्राप्त कर पंजीयन कर दिया जो दस्तावेज अपने आप मे शून्य होकर शून्य घोषित किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष मे निष्पादित कर दिनांक 12-05-2014 को पंजीयन कराया उक्त विक्रयपत्र को वादी के मुकाबले शून्य घोषित कराया जाकर उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 02 को घोषित किया जावे। उक्त प्रकरण मे वादी एंव प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा भी पेश किया। जिसे शामिल (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

नम्बर अहकाम हुक्म में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

पत्रावली किया गया।
मैंने पत्रावली मे पेश किये गये दस्तावेजो एंव अंकित तथ्यो का अवलोकन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष का है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेजा पटवारहल्का मेजा तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नम्बर 1437 रकबा 01 बिस्वा गै० मु० कुआ व आराजी नम्बर 1430 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1431 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1432 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा का जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष मे निष्पादित दिनांक 12-05-2014 को किया को शून्य घोषित किया जाता है। तथा उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 02 बैंक को घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे अंकन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा